


मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक परिमिंडल, के पत्र क्रमांक 22/153, दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान योजनान्तर्गत डाक व्यवहार की पूर्व अदायगी डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमति.



पंजी, क्रमांक भोपाल डिवीजन  
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

## मध्यप्रदेश राजपत्र

### (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 115 ]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 29 जनवरी 2010—माघ 9, शक 1931

वाणिज्यिक कर विभाग  
मंत्रालय, बल्लभ भवन, भोपाल  
भोपाल, दिनांक 29 जनवरी 2010

क्र. एफ. ए-3-19-2009-1-पांच (37).—यतः; राज्य सरकार यह आवश्यक समझती है कि मध्यप्रदेश वेट नियम, 2006 में निम्नलिखित संशोधन राजपत्र में पूर्व प्रकाशन के बिना तत्काल किए जाएं;

अतएव, मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 (क्रमांक 20 सन् 2002), की धारा 71 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, एतद्वारा, मध्यप्रदेश वेट नियम, 2006 में, निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

#### संशोधन

अधिसूचना क्रमांक एफ-3-19-2009-1-पांच (28), दिनांक 27 अक्टूबर 2009 में जो “मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)”, दिनांक 27 अक्टूबर 2009 में प्रकाशित की गई थी तथा जो मध्यप्रदेश वेट नियम, 2006 में संशोधन से संबंधित थी, अंत में आने वाली लागू होने के संबंध में टीप में, खण्ड (2) में, शब्द तथा अंक “वित्त वर्ष 2009-10 की तीसरी तिमाही” के स्थान पर, शब्द तथा अंक “वित्त वर्ष 2010-11 की पहली तिमाही” स्थापित किए जाएं।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
आर. के. यादव, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 29 जनवरी 2010

क्र. एफ. ए-3-19-2009-1-पांच (37).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-ए-3-19-2009-1-पांच (37), दिनांक 29 जनवरी 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
राकेश यादव, अपर सचिव.

Bhopal, the 29th January 2010

No. F. 3-19-2009-1-V-(37).—WHEREAS the, State Government considers it necessary that the following amendment in the Madhya Pradesh Vat Rules, 2006 should be made at once without previous publication in the official Gazette;

Now, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by Section 71 of the Madhya Pradesh Vat Act, 2002 (No. 20 of 2002), the State Government, hereby, makes the following further amendment in the Madhya Pradesh Vat Rules, 2006, namely :—

#### AMENDMENT

In the Notification No.-F-3-19-2009-1-V (28), which was published in the “Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)” dated 27th October 2009 and which was pertaining to amendment in the Madhya Pradesh Vat Rule, 2006, in the Commencement Note occurring at the end, in clause (2), for the words and figures “third quarter of the financial year 2009-10”, the words and figures “first quarter of the financial year 2010-11” shall be substituted.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,

R. K. YADAV, Addl. Secy.